



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]
No. 555]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2008/वैशाख 4, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2008/VAISAKHA 4, 1930

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2008

का.आ. 934(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश करती हैं कि प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासक, (चाहे वह उप राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हो) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, शक्तियों का प्रयोग और अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) के अधीन राज्य सरकार के कृत्यों का भी निर्वहन करेगा।

[फा. सं. यू-11018/3/2008-यूटीएल]
बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2008

S.O. 934(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union Territory (whether known as Lieutenant Governor or Administrator) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the National Rural Employment Guarantec Act, 2005 (No. 42 of 2005) within the respective Union Territory.

[F. No. U-11018/3/2008-UTL]
B. BHAMATHI, Jt. Secy.